

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)



वेब साईट : www.vbspu.ac.in

aracademicvbspu@gmail.com

पत्रांक : 3530/शैक्षणिक/2021
सेवा में,

दिनांक- 15.08.2021

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल, विश्वविद्यालय
जौनपुर।

विषय-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 10 फरवरी, 2021, 8 फरवरी, 2021, 20 अप्रैल 2021, 15 जून, 2021, 13 जुलाई, 2021 एवं 9 अगस्त, 2021, 18 अगस्त, 2021 में पत्र निर्गत किये गये हैं। शासनादेश में दिये गये निर्देश के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार सेमेस्टर एवं क्रेडिट प्रणाली लागू किये जाने का निर्देश दिया गया है। शासनादेश में उल्लिखित किया गया है की चिकित्सा (Medicine and Dental etc) एवं तकनीकी शिक्षा (B-Tech]MCA etc), विधि (बी०ए०-एल०एल०बी०बी०, बी०एस०सी०-एल०एल०बी०, एल०एल०एम० इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी एड, एम.एड, बी.पी.एड, एम.पी.एड इत्यादि, बी०ए०/ बी०एस०सी० ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक को छोड़कर बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०एस०सी एग्रीकल्चर, बी०कॉम पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किए जाने का निर्देश दिए गये हैं। कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से संबंधित समस्त शासनादेश एवं पाठ्यक्रम उपलब्ध है, का अवलोकन कर अपने महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करें एवं पठन-पाठन प्रारंभ करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक-11.08.2021 के अनुपालन में संज्ञानार्थ।
2. आशुलिपिक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
3. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त विभाग।
4. प्रो० मानस पाण्डेय, संयोजक, आइ०क्यू०एसी०।
5. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना एवं संलग्नक शासनादेशों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 6- अधीक्षक सम्बद्धता विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र को समस्त प्राचार्य को पंजीकृत डाक अथवा ईमेल आईडी के माध्यम से अवगत कराये।


कुलसचिव

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलपति,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में माह फरवरी-मार्च, 2021 में विश्वविद्यालय स्तर पर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर से पूर्व में ओरियंटेशन कोर्स के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। तदक्रम में सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा कई वेबिनार, सेमिनार का आयोजन किया गया है।

2- सम्प्रति शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों की सूची निम्नवत् है:-

- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन शिक्षा नीति घोषित।
- 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क की स्थापना।
- 07 पिछड़े जिलों के राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालय में वर्ष 2020-21 में प्रीलोडेड टैबलेट उपलब्ध कराना तथा अन्य राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालय में अगले वर्षों में इन्हें उपलब्ध कराना।
- पी०पी०पी० के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में ई-सुविधा केन्द्रों की स्थापना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों के डिजिटलाईजेशन हेतु LMS की स्थापना।
- शिक्षकों के लिए R&D नीति घोषित उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की शोध नीति जारी की गयी है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना।
- भारतीय लोक कला एवं लोक विद्या के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना।
- भाषा उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।
- भारतीय भाषा केन्द्रों का संचालन।
- विश्वविद्यालयों द्वारा एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त करना।
- संस्थानों द्वारा नये पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की तैयारी हेतु दिशा-निर्देश।

इनके विषय में शिक्षकों को विस्तार से अवगत कराया जाना आवश्यक है।

3- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करके शासनादेश पत्र संख्या-438/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 08.02.2021 द्वारा जारी किया गया है जिसकी जानकारी शिक्षकों को दी जानी आवश्यक होगी।

4- अतः राज्य स्तरीय टास्क फ़ोर्स द्वारा अपेक्षा की गयी है कि माह फरवरी-मार्च, 2021 में प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा 07 दिन का Refresher Course अपने शिक्षकों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु आयोजित किये जायें, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश एवं पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित शिक्षकों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही विशेषज्ञों के व्याख्यान का भी आयोजन कराया जाये। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी शिक्षकों के मध्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से सम्बन्धित अलग-अलग विषयों पर वाद, क्विज, आलेख, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाये।

5- अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में कार्यक्रम बनाकर दिनांक 17.02.2021 तक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल hesection.3@gmail.com तथा उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई-मेल upshsec@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,



(मोनिका एस. गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-464(1)/सत्तर-3-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- (2) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विश्वविद्यालयों से उक्त कार्यक्रम की सूचना प्राप्त करके संकलित सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर दिनांक 19.02.2021 तक उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव।

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. निदेशक,

उच्च शिक्षा,
उ०प्र०, प्रयागराज ।

2. कुलपति,

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र० ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: ०४ फरवरी, 2021

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में
न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय
ज्ञाप सं० 5240/सत्तर-3-2020 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा
नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप लगभग 150 विषय विशेषज्ञों द्वारा राज्य स्तरीय समिति
एवं राज्य संकायवार सुपरवाजइरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम
से चर्चा कर पाठ्यक्रमों को तैयार कर लिया गया है तथा सभी हितधारकों की राय जानने के
लिए उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट (<http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020>) पर उसे उपलब्ध कराया गया है। उचित फीडबैक एवं सुझाव को सम्मिलित करते हुये
अन्तिम पाठ्यक्रम इस माह के अन्त तक विश्वविद्यालयों को भेजा जाना प्रस्तावित है, ताकि वे
विद्या परिषद, कार्यपरिषद आदि में इस पर विचार करके तथा इसमें आवश्यकतानुरूप अधिकतम
30 % तक परिवर्तन कर आगामी सत्र (1 जुलाई, 2021) से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नये
पाठ्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित कर सकें।

2- प्रथम फेज में स्नातक स्तर के कला एवं मानविकी के 16, भाषा के 04, विज्ञान के 09,
वाणिज्य, बी०एड एवं प्रबंधन के सभी विषयों के साथ-साथ 06 अनिवार्य विषयों के पाठ्यक्रम
भी वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिये गये हैं। अभी तक 202 फीडबैक प्राप्त हुए हैं (सूची संलग्न)
जिनपर विषय विशेषज्ञ समूहों द्वारा विचार किया जा रहा है।

3- स्नातक कार्यक्रमों की समेकित संरचना हेतु कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कानून और
कृषि के संकायों की समस्त उपाधियों (डिग्रियों) इस संरचना में सम्मिलित हैं, जैसे- बी.ए., बी.
एससी., बी.एससी. (कृषि), बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.ए.एल.एल.बी., बी.ए.बी.एड. आदि। इस संरचना
में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अन्य राज्य/राष्ट्रीय नियामक
निकायों द्वारा विनियमित अन्य तकनीकी विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया है। छात्रों का

लक्षित आयु समूह 18-23 वर्ष है, लेकिन यह जीवन में किसी भी आयु में किसी भी आग्रही व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है।

4- 12 वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र को प्रथम वर्ष के लिए दो मुख्य (Major) विषयों के साथ एक संकाय का चुनाव करना होगा। इस चुनाव के लिए संकाय विशेष के सन्दर्भ में पूर्व पात्रता (pre-requisites) की आवश्यकता होगी। दो प्रमुख विषयों के अलावा उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में किसी भी अन्य संकाय के एक और मुख्य (Major) विषय का चुनाव करना होगा। इसके साथ ही एक गौण विषय किसी अन्य संकाय से, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (अपनी अभिरुचि के अनुसार) तथा एक अनिवार्य सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

5- नये पाठ्यक्रम की विशेषताएं:-

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम समिति एवं विषय विशेषज्ञों के साथ कई ऑनलाइन ऑरियंटेशन प्रोग्राम किए गए, जिसमें सभी विषय विशेषज्ञों की जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान किया गया। तत्क्रम में पाठ्यक्रम समितियों द्वारा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समाहित करते हुए एक समान संरचना पर तैयार किये गये हैं। इनकी मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं:-

- लचीलापन लाना (व्यावहारिक सुगमतापूर्ण)
- स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों की योजना बनाना
- किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश लेने सम्बन्धी विकल्प
- बहुविषयक दृष्टिकोण
- विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना
- क्रेडिट की हस्तांतरणीयता
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए बी सी)
- नये पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आसानी से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश और निकास (Re Exit-entry) कर सकेंगे, छात्र एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में बिना किसी समस्या के आसानी से क्रेडिट ट्रांसफर द्वारा के द्वारा स्थानांतरित होकर अपनी डिग्री ले सकेंगे।
- विद्यार्थी बहु-विषयक, मेजर एवं माइनर विषयों के साथ साथ ऐच्छिक एवं अनिवार्य विषय का अध्ययन करेंगे।
- सभी विषयों की पहली यूनिट में पहला पाठ संबंधित विषय की भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित रखा गया है।
- विद्यार्थियों को मुख्य विषय के साथ-साथ, रोजगार परक पाठ्यक्रम तथा कतिपय अनिवार्य विषय यथा मानवीय मूल्य एवं सतत् विकास (Human Values and sustainable development), स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, डिजिटल जागरूकता,

व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किलस का भी अध्ययन करना होगा ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके तथा उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो ।

- नए पाठ्यक्रम में गैर-प्रायोगिक (Non practical) विषयों में भी व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रैक्टिकल जोड़ा गया है, जैसे भाषाओं के पाठ्यक्रम में अनुवाद, रूपान्तरण, स्क्रिप्ट राइटिंग, फोनिक्स, अनुवाद, लैंग्वेज लैब आदि को समावेश किया गया है ।
- स्नातक प्रथम वर्ष से ही शोध को बढ़ावा देने के लिए सभी विषयों के प्रथम वर्ष में रिसर्च ओरियंटेशन को जोड़ा गया है तथा स्नातक तृतीय वर्ष में रिसर्च प्रोजेक्ट को भी जोड़ा गया है। अपनी भाषा में शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए शोध कार्य से संबंधित भाग में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल को समान महत्व दिया गया है ।

6- Choice Based Credit System (CBCS):-

- च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के अन्तर्गत स्नातक कार्यक्रम के पहले तीन वर्षों में 06 सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने हैं जो प्रत्येक 02 क्रेडिट के होंगे। यह पाठ्यक्रम सभी स्नातक के छात्रों के लिए उपलब्ध एवं अनिवार्य होंगे।
- एक सेमेस्टर में कम से कम 15 सप्ताह होंगे, जिसमें कम से कम 90 शिक्षण दिवस होंगे।
- एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घंटे के व्याख्यान (प्रायोगिक कार्य के लिए 2 घण्टे) के बराबर है, यथा-चार क्रेडिट का पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर में कुल 60 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा।
- प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत होगा, जैसा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा तय किया जायेगा।
- साधारणतया पेपर उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक होंगे तथा वर्षोपरान्त उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट होंगे। जैसे कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम 46 क्रेडिट, दो वर्षीय डिप्लोमा के लिए न्यूनतम 92 क्रेडिट तथा स्नातक डिग्री के लिए 138 क्रेडिट अर्जित करने होंगे।
- कुल मूल्यांकन = 75% बाह्य (विश्वविद्यालय परीक्षा द्वारा)+25% आन्तरिक (सतत मूल्यांकन)।
- वर्ष के अन्त में परिणाम मेजर, माइनर, वोकेशनल व को-करिकुलर सभी प्रकार के कोर्स पर आधारित होगा।
- सभी प्रकार के कोर्सेस को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा अंतिम परिणाम जो कि CGPA के रूप में होगा, सभी कोर्सेस में अर्जित ग्रेड्स पर निर्भर करेगा। किन्तु वर्ष के अन्त में उपाधि हेतु कुल अर्जित क्रेडिट में कुछ क्रेडिट की छूट होगी।

7- पाठ्य सामग्री हेतु मानक के संदर्भ में सभी कार्यक्रमों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) होगा। विश्वविद्यालयों में पाठ्य समितियों (Boards of Studies) को इस सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम 70% के साथ अपना पाठ्यक्रम (Syllabus) विकसित करना होगा (अधिकतम की कोई सीमा नहीं है)। आगे आने वाले सेमेस्टर में प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम (Syllabus) उत्तरोत्तर जटिल एवं अनंत सम्भावना युक्त होना चाहिए। सभी सेमेस्टर में प्रश्न-पत्रों के शीर्षक व कार्यक्रम संरचना सभी कक्षाओं/वर्षों में, समस्त विश्वविद्यालयों में समान होगा। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के मध्य एकरूपता और सुचारु स्थानांतरण के लिए है। उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय को क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए.बी.सी) के माध्यम से दी जायेगी, जिसे प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने डाटा सेन्टर द्वारा प्रबंधित करेगा।

अनुरोध है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव दिनांक 20, फरवरी 2021 तक अवश्य उपलब्ध करा दें जिससे पाठ्यक्रमों को ससमय अन्तिम रूप दिया जा सके।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,


(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/सत्तर-3-2021/16(26)/2011 तदिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वांछित सूचना संकलित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 3- राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम पुनर्संरचना समिति के सदस्य।

आज्ञा से,


(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

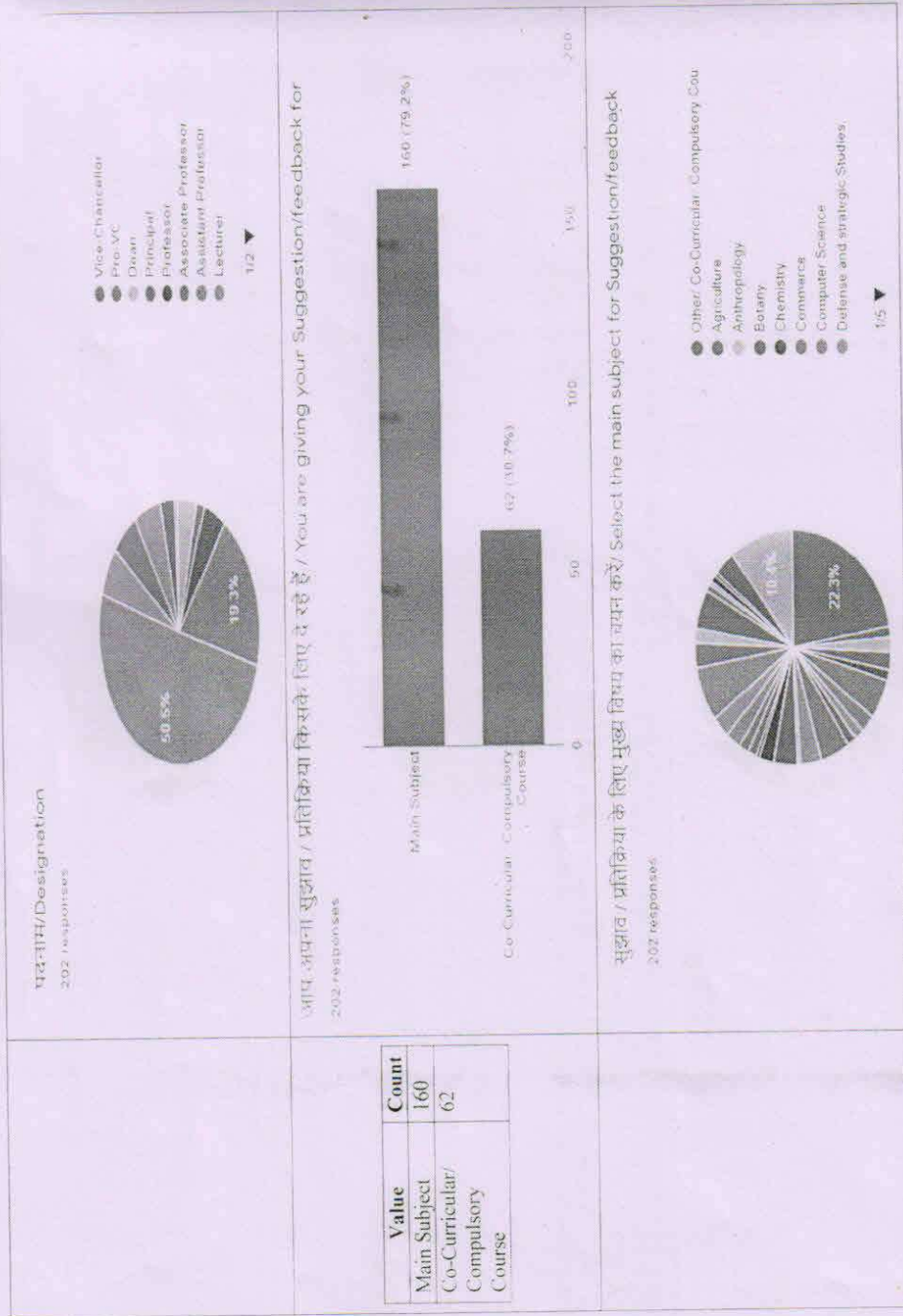
Designation Wise

Vice-Chancellor	0
Pro-VC	0
Dean	8
Principal	3
Professor	9
Associate Professor	39
Assistant Professor	102
Lecturer	12
Industrialist	0
Retired Academician	0
Research Scholar	11
Student	11
Scientist	0
Other	6
Parents	1
	202

Subject wise

Other/ Co-Curricular/ Compulsory Course	45
Agriculture,	3
Anthropology	4
Botany,	5
Chemistry,	3
Commerce	11
Computer Science,	5
Defense and strategic Studies,	3
Defense studies,	0
Economics ,	3
Education,	10
English,	7
Fine arts,	1
Geography ,	8
Geology	0
Hindi,	5
History (Ancient Indian History, archaeology and culture),	1
History (Modern and medieval),	3
Home Science,	3
Law,	0
Management	5
Mathematics,	6
Philosophy,	0
Physical Education,	15
Physics,	7
Political Science,	4
Psychology,	11
Sanskrit,	2
Social Work	1
Sociology	2
Statistics,	1
Teacher Education (BEd)	7
Urdu	0
Zoology	21
Total	202

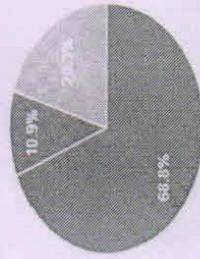
Feedback analysis report of Syllabus submitted by stockholder



क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम NEP-2020 के उद्देश्य को पूरा करेगा? Do you think that the syllabus will fulfill the objective of NEP-2020?

202 responses

Yes	139
No	22
Maybe	41

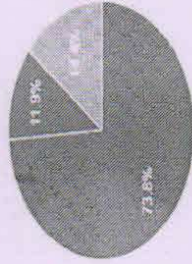


● Yes
● No
● Maybe

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम में कौशल सामग्री शामिल है? Do you think the syllabus included the skill content?

202 responses

Yes	149
No	24
Maybe	29

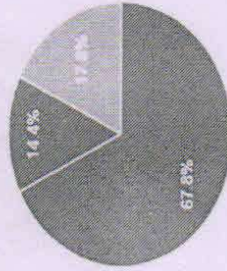


● Yes
● No
● Maybe

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम अनुसंधान-उन्मुख है? Do you think that the syllabus is research-oriented?

202 responses

Yes	137
No	29
Maybe	36



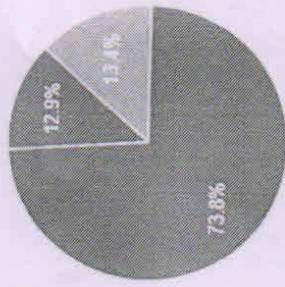
● Yes
● No
● Maybe

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम भविष्य-उन्मुख है? Do you think that the syllabus is future-oriented?

202 responses

Yes	149
No	26
Maybe	27

☒ Yes
☐ No
☐ Maybe

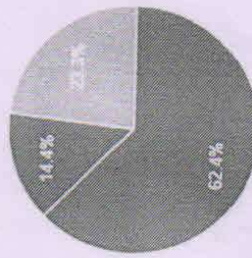


क्या आपको लगता है कि भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा पाठ्यक्रम में शामिल है? Do you think that the Indian cultural/traditional knowledge included in the syllabus?

202 responses

Yes	126
No	29
Maybe	47

☒ Yes
☐ No
☐ Somewhat



प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स एवं महाविद्यालयों में क्रियान्वयन समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति के लगभग 70% प्राविधानों का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय को अपने स्तर से ही करना है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन का आधार शिक्षक हैं। अतः कार्यशालाओं के माध्यम से उनका उन्मुखीकरण (ओरियंटेशन) एवं समय-समय पर नियमित रूप से रिफ्रेशर एवं समीक्षा की उचित व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु शैक्षिक संस्थानों के परिवेश में खुलापन एवं अकादमिक वातावरण का भी सृजन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार सभी स्तर पर समग्रता से क्रियान्वयन की योजना से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का वास्तविक एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन हो सकेगा।

2- इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में टास्क फोर्स एवं प्रत्येक महाविद्यालय में 03-05 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के टास्क फोर्स एवं क्रियान्वयन समिति के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहभागिता से नीति का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। जब तक शिक्षकों की सहभागिता नहीं होगी, तब तक वास्तविक एवं जमीनी क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सकेगा।

3- विश्वविद्यालय स्तर पर गठित NEP-2020 टास्क फोर्स मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे :-

- विषय विशेषज्ञों से परामर्श
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही
- शासनादेशों का विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में समुचित क्रियान्वयन

4- महाविद्यालय स्तर पर गठित NEP-2020 क्रियान्वयन समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे :-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा
- शासनादेशों का समुचित क्रियान्वयन।

5- प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के प्रमुख को सुनिश्चित करना होगा की वहाँ के प्रत्येक शिक्षक ने प्रारूप का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। शिक्षकों की सहभागिता एवं क्रियान्वयन में उनको आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समय-समय पर समाधान करना आवश्यक होगा। शिक्षकों और वरिष्ठ छात्रों हेतु संगोष्ठियों का आयोजन जिसमें शोध-पत्र भी मंगवाए जा सकते हैं तथा आलेख प्रतियोगिता आदि गतिविधियों के माध्यम से भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक शैक्षिक संस्थान द्वारा कम से कम एक संगोष्ठी प्रत्येक माह होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से कमबद्ध संगोष्ठियों का आयोजन अपेक्षित है जिसमें शुरुआत में शिक्षा नीति की समग्रता पर एवं दूसरे चरण में उच्च शिक्षा, शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषा, शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परम्परा आदि, तीसरे चरण में "मेरू" (मल्टीपल एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिट), एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एग्जिट एण्ड एन्ट्री आदि पर संगोष्ठी, कार्यशालाओं, ई-संगोष्ठियों का आयोजन करना होगा।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कई विश्वविद्यालयों में NEP-2020 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अनुरोध है कि शेष विश्वविद्यालय भी उक्त टास्क फोर्स का गठन करके शासन को दिनांक 25.02.2021 तक कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें एवं प्रत्येक महाविद्यालय में NEP-2020 क्रियान्वयन समिति का गठन करके निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज शासन को दिनांक 25.02.2021 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,



(मोनिका एस. गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-474(1)/सत्तर-3-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- (2) अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विश्वविद्यालयों से उक्त कार्यक्रम की सूचना प्राप्त करके संकलित सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल आईडी0 hesection.3@gmail.com पर दिनांक 25.02.2021 तक उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव।

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक १० अप्रैल, 2021

विषय- उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240/सत्तर-3-2020 दिनांक 26-10-2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यक्रमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

प्रो. मानस प्रसाद

सम-लक्ष्य
IGAC

सर्व कुलपति एवं
(शैक्षिक)

तदक्रम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया। फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०आई०एस० तथा अनिवार्य को-करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम वेबसाइट (<http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020>) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रूप से तैयार पाठ्यक्रम भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जायेंगे।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को-करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एंथ्रोपोलोजी	✓ कृषि	✓ संस्कृत	खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता	✓ बी०कॉम
✓ रक्षा एवं संरचनात्मक अध्ययन	✓ वनस्पति विज्ञान	✓ हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी०एड०
✓ अर्थशास्त्र	✓ रसायन शास्त्र	✓ अंग्रेजी	✓ शारीरिक शिक्षा एवं योग	✓ बी०बी०ए०
✓ शिक्षाशास्त्र	✓ कम्प्यूटर विज्ञान	✓ उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी०एल०आई०एस०
ललित कला	✓ भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस	
✓ भूगोल	✓ गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तिगत विकास	

✓ इतिहास (प्राचीन)	✓ भौतिक विज्ञान			
✓ इतिहास (आधुनिक)	संख्यिकी			
✓ गृह विज्ञान	✓ जन्तु विज्ञान			
विधि				
✓ दर्शनशास्त्र				
✓ शारीरिक शिक्षा				
✓ राजनीति शास्त्र				
✓ मनोविज्ञान				
✓ समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3- शासनादेश संख्या-438/सत्तर-3-2021(16)26/2011 दिनांक 08-02-2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठ्यक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानांतरण, अनिवार्य को-करीकुलर एवं विषय चुनाव एवं उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4- अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन किया जा सके:-

- न्यूनतम समान पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लागू कर सकेंगे। न्यूनतम समान पाठ्यक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठ्यक्रम भी समय-समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया-

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश देगा।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठ्यक्रम लेना होगा।

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, विकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया-

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ विकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ विकास की सुविधा उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी विकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि-

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें-

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

परीक्षा व्यवस्था -

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी।

5- अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी-एचडी (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8- पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9- अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एमओएसएमई, आईटीआई और पॉलीटेक्निक के साथ एमओयू किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1065 (1)/सत्तर-3-2021-तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उओप्र०।
- (2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) अपर सचिव, उओप्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-: 1236/सत्तर-3-2021-08(35)/2020टी.सी.1

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2021

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-142/सत्तर-3-2021-08(35)/2020टी.सी.1, दिनांक 15 जनवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत उनका संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- उक्त के अनुक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में प्रकोष्ठ गठन की अद्यतन स्थिति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सभी प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करें तथा अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

अधीक्षक (अधीक्षक) /
गठित समस्त प्रकोष्ठों को पत्र भेजने सूचना प्रेषित/आज्ञा।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या- 1236 (1)/सत्तर-3-2021-तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

दिनांक 10.06.2021

शासनादेश संख्या-142/सत्तर-3-2021-8(35)/2020टी.सी.1, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकोष्ठ गठन की स्थिति।

क्रं.सं०	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	कुल गठित प्रकोष्ठों की संख्या
1.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	10
2.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	10
3.	डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या	10
4.	चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	10
5.	डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	10
6.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	10
7.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	10
8.	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर	10
9.	ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	10
10.	जननायक चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय, बलिया	10
11.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	10
12.	प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	10
13.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	10
14.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	08
15.	महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	10

नोट- राज्य विश्वविद्यालयों से संकलित सूचना के आधार पर।

सं. कु. श. (शैक्षणिक) 165/सत्तर-3/2021-16(26)/2011
 संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16(26)/2011
 शीर्ष प्राथमिकता
 16/6/21

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
 अपर मुख्य सचिव,
 उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
 समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
 उ०प्र०।

2 निदेशक,

उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
 प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किये जाने के सम्बंध में।

महोदय/ महोदया,

उपयुक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 20-04-2021 द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020" के अनुरूप "च्चाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)" पर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र से लागू किया जाना है।

2- उक्त के क्रम में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020" के अनुरूप विद्यार्थियों को बहुविषयक विकल्प उपलब्ध कराने, भाषा विषयों को बढ़ावा देने तथा अन्तर्विश्वविद्यालय क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिये संकायों की एकरूपता आवश्यक है।

3- प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों को निम्न संकायों में वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई अन्य एलाईड विषय आपके यहां संचालित है तो उसको सम्बंधित विषय के संकाय में माना जाये। अर्थात्: विषयी, विषय के सम्बंध में मूल संचालनकर्ता विषय के संकाय को उस विषय का संकाय माना जाये। सूची में उपलब्ध विषयों के अतिरिक्त विषय की सूचना उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उनके कोड का निर्धारण किया जा सके।

4- पूर्व में कई विषय जैसे-गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जैसे विषय बी०ए०, बी०एस०सी० दोनों वर्ग के छात्रों के लिये उपलब्ध थे जिस कारण से वे दोनों संकायों में वर्गीकृत किये गये थे। नई व्यवस्था में छात्र को तीसरा मुख्य विषय लेने की छूट है अतः कोई भी छात्र किसी भी संकाय के विषय का चुनाव कर सकता है, इसलिये किसी भी विषय को दो संकायों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

5- अवगत कराना है कि निम्नानुसार सिर्फ विषयों को संकायों में वर्गीकृत किया गया है। अन्य पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

(1) Faculty of Language (भाषा संकाय)

1. Arabic (अरेबिक)
2. Communicative English (संचार अंग्रेजी)
3. English (अंग्रेजी)
4. Farsi (फारसी)

5. Foreign language (विदेशी भाषा)
6. French (फ्रेंच)
7. German (जर्मन)
8. Hindi (हिन्दी)
9. Linguistics (भाषा विज्ञान)
10. Modern Indian Languages and Literary Studies (आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्यिक अध्ययन)
11. Pali (पाली)
12. Prakrit (प्राकृत)
13. Punjabi (पंजाबी)
14. Sanskrit (संस्कृत)
15. Sindhi (सिंधी)
16. Tibbati (तिब्बती)
17. Urdu (उर्दू)

(2) Faculty of Arts, Humanities and Social sciences(कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)

1. Adult and Continuing Education (प्रौढ, सतत एवं प्रसार शिक्षा)
2. Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति)
3. Anthropology (मनुष्य जाति का विज्ञान)
4. Archaeology and Musicology (पुरातत्व एवं संग्रहालय)
5. Astrology (ज्योतिष विज्ञान)
6. Defence and Strategic Studies (रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन)
7. Early Childhood care and Education (बाल्यकाल की आरम्भिक देखभाल एवं शिक्षा)
8. Economics (अर्थशास्त्र)
9. Education (शिक्षा शास्त्र)
10. Geography (भूगोल)
11. History (इतिहास) -Medieval and modern history
12. Home Science (गृह विज्ञान)
13. Human Development (मानव विकास)
14. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)
15. Human Rights (मानवाधिकार)
16. Indian history and culture (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
17. Journalism (पत्रकारिता)
18. Journalism and communication (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
19. Library & Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)
20. Mass Media (संचार मीडिया)
21. Media and communication (मीडिया एवं संचार)
22. Nutrition and Dietetics (पोषण एवं आहार विज्ञान)
23. Philosophy (दर्शनशास्त्र)
24. Physical Education (शारीरिक शिक्षा)
25. Political Science (राजनीति विज्ञान)
26. Psychology (मनोविज्ञान)
27. Public Administration (लोक प्रशासन)
28. Social Work (सामाजिक कार्य)
29. Sociology (सामाजिक विज्ञान)
30. Women Studies (महिला अध्ययन)
31. Yoga (योग शिक्षा)

(3) Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)

1. Law related courses (विधि सम्बन्धित पाठ्यक्रम)
- a. Law as one of the three subject in UG programme
- b. BALLB, BScLLB, BComLLB, LLB, LLM

(4) Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

1. Applied Microbiology (व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान)
2. Astronomy (खगोल विज्ञान)
3. Biochemistry (जैव रसायन विज्ञान)
4. Bioinformatics (जैव सूचना विज्ञान)
5. Biotechnology (जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
6. Botany (वनस्पति विज्ञान)
7. Chemistry (रसायन विज्ञान)
8. Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)
9. Computer Science (कम्प्यूटर विज्ञान)
10. Electronics (इलेक्ट्रॉनिक्स)
11. Environmental science (पर्यावरण विज्ञान)
12. Food Science & Technology (खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी)
13. Forensic Science (फॉरेंसिक विज्ञान)
14. Geographic Information System and Remote Sensing (भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूरसंवेदन)
15. Geology (भू-गर्भ विज्ञान)
16. Genetics & Genomics (अनुवांशिकी एवं जीनोमिक)
17. Industrial Biotechnology (औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
18. Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायन विज्ञान)
19. Industrial Forestry (औद्योगिक वानिकी)
20. Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान)
21. Information Technology (सूचना प्रौद्योगिकी)
22. Instrumentation (उपकरण विज्ञान)
23. Life Science (जीवन विज्ञान)
24. Mathematics (गणित)
25. Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
26. Nanotechnology (नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान)
27. Physics (भौतिक विज्ञान)
28. Polymer Science & Chemical Technology (बहुलक विज्ञान एवं रसायन प्रौद्योगिकी विज्ञान)
29. Statistics (सांख्यिकी)
30. Toxicology (विष विज्ञान)
31. Zoology (जन्तु विज्ञान)

(5) Faculty of Agriculture (कृषि संकाय)

1. Agriculture (कृषि विज्ञान)
2. Agriculture economics (कृषि अर्थशास्त्र) ✓
3. Agriculture extension (कृषि विस्तार) ✓
4. Agriculture statistics (कृषि सांख्यिकी) ✓
5. Animal husbandry (पशुपालन) ✓
6. Forestry (वानिकी) ✓
7. Genetics and Plant Breeding (पादप अनुवांशिकी) ✓
8. Horticulture (उद्यान विज्ञान) ✓
9. Plant Protection (पादप संरक्षण) ✓

10.Plant Pathology (पादप रोग विज्ञान) ✓

11.Seed Technology (बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान)

(6) Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)

1. Physical Education (शारीरिक शिक्षा) B.PEd., M.PEd.

2. Teacher Education (अध्यापक शिक्षा) B.Ed., M.Ed.

(7) Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

1. Commerce (वाणिज्य)

2. Accounting and auditing (लेखा एवं लेखा परीक्षा)

3. Advertising, Sales Promotion and Sales Management (विज्ञापन, विक्रय प्रोत्साहन एवं विक्री प्रबन्धन)

4. Banking and insurance (बैंकिंग एवं बीमा)

5. Foreign Trade (विदेशी व्यापार)

6. Office Management and Secretarial Assistance (कार्यालय प्रबंधन एवं सचिबीय सहायता)

7. Taxation (कराधान)

(8) Faculty of Management (प्रबंधन संकाय)

1. Business Administration (व्यवसाय प्रबंधन)

2. Business Economics (व्यापार अर्थशास्त्र)

3. Finance and Control (वित्त एवं नियंत्रण)

4. Hospital Administration (अस्पताल प्रशासन)

5. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)

6. International Business (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार)

7. Logistic management (रसद प्रबंधन)

8. Management Science (प्रबंधन विज्ञान)

9. Marketing (विपणन)

10.Tourism Management (पर्यटन प्रबंधन)

11.Travel and hospitality management (पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन)

(9) Faculty Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय)

1. Architecture (वास्तुकला)

2. Choreography (नृत्यकला)

3. Dance (नृत्य)

4. Dance- Bharatanatyam (नृत्य-भरतनाट्यम)

5. Dance- Kathak (नृत्य-कथक)

6. Dance-Folk (लोक नृत्य)

7. Drawing & Painting (चित्रकारी)

8. Film (चलचित्र)

9. Fine Arts (ललित कला)

10.Music (Vocal) (संगीत गायन)

11.Music Instrument Sitar (संगीत सितार)

12.Music Instrument Tabla (संगीत तबला)

13.Music (संगीत)

14.Performing Art (प्रदर्शन कला)

15.Sculpture (मूर्ति कला)

16.Theatre and cinema (रंगमंच एवं चलचित्र)

17.Visual and Studio Art (दृश्य एवं स्टूडियो कला)

(10) Faculty of Vocational Studies (व्यवसायिक अध्ययन संकाय)

NSQF/UGC के दिशा निर्देशानुसार 40%(General) & 60% (Skill) व्यवस्था पर आधारित, स्किल पार्टनर के सहयोग से संचालित विषय ही व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आयेंगे ।

1. Advertising, Sales Promotion and Sales Management

- (1)
2. Agribusiness management
 3. Airline, Tourism and Hospitality Management
 4. Analytical Instrumentation.
 5. Community Sciences(Home sciences)
 6. Dairy technology
 7. Foreign Trade Practices and Procedures.
 8. Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology
 9. Multimedia, Animation and Graphics
 10. Nutrition and health care Sciences
 11. Organic farming and Organic products
 12. Principles and Practice of Insurance

(11) Faculty of Rural Science (ग्रामीण विज्ञान संकाय)

1. Community development and extension (सामुदायिक विकास एवं प्रसार)
2. Co-operation (सहकारिता)
3. Agriculture Marketing (कृषि विपणन)
4. Horticulture (Rural Science) (उद्यान विज्ञान- ग्रामीण विज्ञान)
5. Village Industries (ग्रामीण उद्योग)
6. Fisheries (मत्स्य पालन)
7. Rural Banking (ग्रामीण बैंकिंग)

6- उपरोक्तानुसार नवीन संकाय व्यवस्था को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमानुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1267 (1)/सत्तर-3-2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कुलसचिव कार्यालय
दिनांक: 14.7.21
संज्ञिका गृह सं. 16
पत्रांक सं. 191
ह0र(प्रयागराज)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई-मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट (<http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx>) पर अपलोड किया जा चुका है। स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (<https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9>) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुरूप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलेक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यक्रम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (<https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9>) पर दे सकते हैं।

स.0 कुलसचिव
(अधिकांक)

14/7/21

अध्यक्ष (शैक्षणिक)

14/7/21

(अधिकांक)

(अधिकांक)

14/7/21

शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 20-04-2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्चाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:-

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)

- 1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप रख सकते हैं।
- 1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने-कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएंगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।
- 1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70-80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. क्षेत्र (Scope)-

- 2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।
- 2.2 विधि (बी०ए०-एल०एल०बी०, बी०एस०सी-एल०एल०बी०, एल०एल०बी०, एल०एल०एम०, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी.-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०कॉम, एल०एल०बी०, पी०एच०डी० इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

- 3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- 3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।
- 3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15-06-2021 के अनुसार होगी। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की मिलेगी।

3.3 विषय (Subject)-यथा

- 3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
- 3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)- यथा

- 3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रेक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- 3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :-

- 4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी०ए०, बी०एस०सी० आदि) व बी०कॉम० में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा।
- 4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 4.3 बी०ए०/बी०एस०सी० ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 4.4 पी०एच०डी० कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022-23 से लागू होगी।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

- 5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- 5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- 5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 5.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- 5.6 माइनर इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना होगा। इसके लिये किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.7 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 5.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।
- 5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।
- 5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- 5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सग अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- 5.12 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएँ फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।
- 5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलेक्टिव पेपर (4 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलेक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलेक्टिव पेपर की कक्षाएँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होंगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

- 6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)

- 7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- 7.2 इन छः सह-विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- 7.3 हर सह-विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. शोध परियोजना (Research Project)

- 8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी.जी.डी.आर. में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।
- 8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्टरडिस्सिप्लिनरी ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- 8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

9. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 9.2 प्रैक्टिकल/इन्टरनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टरनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टरनशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- 9.3 क्रेडिट सम्बंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

- 9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- 9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।
- 9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

- 10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

- 11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरूप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का समायोक्त सत्र 2021-22 से क्रियान्वयन किया जा सके।
- 11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय-सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3- विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं० 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से "च्चाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।
संलग्नक-यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1567 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Year	Sem.	Subject I		Subject II		Subject III		Subject IV		Vocational		Co-Curricular		Industrial Training/ Survey/ Research Project		{Minimum Credits} For the year	{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	4/5/6 Credits	Major	4/5/6 Credits	Major	4/5/6 Credits	Minor Elective	4/5/6 Credits	Minor	3 Credits	Minor	4 Credits	Major	4 Credits		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (4/5/6)		1		1				46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)				1		1					
	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)				1		1					
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)				1		1					
2	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)		Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1 (4/5/6)				1		1		40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)		Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)								1		1			
	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
3	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4/5/6)						1		52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
	XI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
	XII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
4	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (4/5/6)		1		1				48	{232} Master in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)				1		1					
	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)				1		1					
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)				1		1					
5	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)		Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1 (4/5/6)				1		1		16	{248} PGDR in Subject
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)		Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)								1		1			
	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
6, 7, 8	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4/5/6)						1		16	{248} PGDR in Subject
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
	XI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			
	XII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)												1			

Note: Blue Colour: No. of papers Red colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

2. निदेशक,

उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक ०९ अगस्त, 2021

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम में कौशल विकास कार्यक्रमों तथा एन.सी.सी को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में मौलिक और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। छात्रों में भारतीय होने का गर्व विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों तथा सोच में भी होना चाहिए। इसकी प्रतिपूर्ति पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर (एन.सी.सी) को वैकल्पिक विषय पेपर के रूप में शामिल करने से हो सकती है। छात्रों में अनुशासन, देश-प्रेम की भावना विकसित करने के साथ-साथ "राष्ट्रीय क्रेडिट कोर" उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद करती है। देखा गया है कि कुछ योग्य विद्यार्थी इसे लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें इससे उनके अध्ययन प्रभावित होने का डर होता है। अतः निर्णय लिया गया है कि एन.सी.सी. को वैकल्पिक विषय/पेपर के रूप में पढ़ाने से इसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का अध्ययन भार भी कम होगा।

2- उक्त के आलोक में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर (एन.सी.सी) को आगामी सत्र से उ०प्र० के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय (लघु Minor)/पेपर के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा।

3- उक्त वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें एन.सी.सी. निदेशालय, राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम समिति के प्रतिनिधि एवं ए.एन.ओ को सम्मिलित किया गया है। समिति शीघ्र ही एन.सी.सी.-वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम उपलब्ध करायेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा एन.सी.सी.-वैकल्पिक विषय (लघु Minor) के लिये बनाई गई विद्वत सभा (BoS) में ए.डी.जी., एन.सी.सी. निदेशालय, उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा एक ए.एन.ओ को भी रखा जायेगा।

सं. कुलसचिव
(बो.सि.सी.)

9/8/21

अधीक्षक (सि.सी.)

16/08/21
(AR)

श्री राजेश कुमार
10/8/21

4- आरम्भ में एन.सी.सी.-वैकल्पिक विषय (लघु Minor) सिर्फ एन.सी.सी. कैडेट के लिये ही उपलब्ध होगा, परन्तु कालांतर में संसाधनों के दृष्टिगत सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में उ०प्र० के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 लागू किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या-1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 20.04.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के आलोक में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) को आगामी सत्र से पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय (लघु Minor)/पेपर के रूप में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1515 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 3- मेजर जनरल राकेश राणा, अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, उ०प्र०।
- 4- ले० कर्नल अशोक मोर, आई०आई०टी०, कानपुर उ०प्र०।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,
मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कुलसचिव का कार्यालय
दिनांक 10/08/2021
कृपया पुनः संख्या
संख्या सं० 867
आज्ञा करें

सेवा में,

1. कुलपति
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2021

विषय:- प्रदेश-स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स- ABACUS-UP के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा National Academic Bank of Credit संचालित किया जा रहा है। यह सुविधा A-grade संस्थानों, Institutes of Excellence तथा अन्य उत्कृष्ट उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः प्रदेश के छात्रों को Credit Transfer तथा Exit एवं Re-entry की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश-स्तरीय Academic Bank of Credit को विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, उपकरण, शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत अगले शैक्षिक सत्र से प्रवेश पाने वाले छात्रों का डेटाबेस भी तैयार किया जायेगा। इस प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर पिछले 4-6 महीनों में NIC के सहयोग से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध विशेषज्ञों एवं शिक्षकों के निर्देशन में तैयार किया गया है। इसका नाम ABACUS-UP रखा गया है:-

सं कुलसचिव
(शैक्षणिक)

9/8/21

ABACUS-UP- Academic Bank for College and University Students of Uttar Pradesh

अधीक्षक (शैक्षणिक) 2-

उद्देश्य

- ABACUS-UP के द्वारा विद्यार्थी आसानी से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में क्रेडिट स्थानांतरित कर सकेंगे तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में भी परिवर्तन आसान होगा।
- ABACUS-UP से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के उपकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की सूचना ABACUS-UP पर उपलब्ध होने से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मध्य रिसोर्स शेयरिंग सम्भव होगी।
- ABACUS-UP के माध्यम से डिजी-लॉकर पर विद्यार्थियों को सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, अंकपत्र इत्यादि प्राप्त होंगे।
- ABACUS-UP के परिक्षेत्र में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आयेंगे, तथा क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को होगी।

10/08/21

(AR)

9/8/21
10/8/21

3- डाटा रिसोर्स सेंटर

- विद्यार्थियों की सहायता के लिये राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित ई-लर्निंग पार्क का उपयोग डाटा रिसोर्स सेंटर के रूप में किया जायेगा।
- अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय विद्यार्थियों की सहायता के लिये डाटा रिसोर्स सेंटर की स्थापना करेंगे। उनके विद्यार्थी अपने निकटस्थ राजकीय महाविद्यालय में स्थापित ई-लर्निंग पार्क का भी उपयोग ABACUS-UP के कार्यों हेतु कर सकते हैं।
- राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपने Student Information Management System/Learning Management System विकसित किए गए हैं/किए जा सकते हैं और उसे ABACUS-UP से integrate किया जा सकता है।

4- ABACUS-UP के उपयोग की प्रक्रिया

- ABACUS-UP में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, तथा विद्यार्थी हितधारक होंगे।
- ABACUS-UP के संचालन एवं गोपनीयता की समस्त जिम्मेदारी संबंधित कुलसचिव/प्राचार्य तथा उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी की होगी। कुलसचिव/प्राचार्य अपनी सुविधा के लिये कम्प्यूटर कार्य में प्रवीण परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव/स्थायी शिक्षक को ले सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में अस्थायी व्यक्ति/शिक्षक को ABACUS-UP के संचालन की जिम्मेदारी नहीं दी जायेगी किन्तु उनसे कम्प्यूटर आपरेशन में मदद ली जा सकती है। निजी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा प्राइवेट एवं स्वयत्त पोषित महाविद्यालय के प्रबंधक/सचिव ABACUS-UP के संचालन हेतु जिम्मेदार होंगे।
- ABACUS-UP के संचालन हेतु सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कुलपति/कुलसचिव/प्राचार्य के नाम से एक मोबाईल नम्बर लिया जायेगा तथा एक संस्थान की एक ई-मेल आई.डी. (जैसे- abacus.up@.....HEI web address) तैयार करायी जायेगी। उनके स्थानांतरण/सेवानिवृत्त आदि की स्थिति में मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. नये कुलपति/कुलसचिव/प्राचार्य को हस्तान्तरित की जायेगी।
- विषम परिस्थितियों में मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. परिवर्तन की स्थिति में विश्वविद्यालय ABACUS-UP के एडमिन से तथा महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय से ई-मेल द्वारा परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन करेंगे।
- कुलसचिव/प्राचार्य अपने नोडल अधिकारी का परिवर्तन अपने ABACUS-UPलॉगइन से कर सकेंगे।
- नए विश्वविद्यालय बनने अथवा विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति में अवेकस-यूपी. के एडमिन एवं एन.आई.सी.उसमें परिवर्तन करेंगे।

University login	ABACUS UP login	College login	Teacher login	Student login
• VC login	• Admin	• Management login		
• Registrar login	• UPSHEC	• Principal login		
• Nodal officer login	• Director-HE	• Nodal officer login		
	• RHEO (9)			

5- विश्वविद्यालय पंजीकरण प्रक्रिया-

- सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के कुलसचिव अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल (ABACUS-UP हेतु लिया गया) के द्वारा ABACUS-UP की वेबसाइट (<http://abacus.upsdc.gov.in>) के "University

Registration" पर जाकर पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण के पश्चात मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल से प्राप्त ओ.टी.पी. के द्वारा लॉग-इन करेंगे।

- पंजीकरण के पश्चात वे अपना नया पासवर्ड तैयार कर सुरक्षित रखेंगे।
- लॉग-इन के पश्चात अपने विश्वविद्यालय का नाम चुनकर वांछित सूचनायें तथा अपने नोडल अधिकारी का विवरण भरकर सबमिट करेंगे।
- विश्वविद्यालय कुलसचिव द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सूचना गलत होती है तो कुलसचिव को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा कुलसचिव द्वारा लॉग-इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा। सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना कुलसचिव/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर दी जायेगी।
- इसके बाद सम्बंधित महाविद्यालय अपने को ABACUS-UP की वेबसाईट पर उक्तवत् पंजीकृत करेंगे।
- विश्वविद्यालय अपनी लॉग-इन पर सम्बंधित महाविद्यालयों की प्रगति देख सकेंगे तथा समयान्तर्गत सभी महाविद्यालयों का पंजीकरण सुनिश्चित करायेंगे।
- विश्वविद्यालय द्वारा एन.आई.सी. के निर्देशन/माध्यम से क्लाउड /सर्वर पर स्पेस का क्रय किया जायेगा।

6- महाविद्यालय पंजीकरण प्रक्रिया-

- महाविद्यालय के प्राचार्य अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल (ABACUS-UP हेतु लिया गया) के द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट (<http://abacus.upsdc.gov.in>) के "College Registration" पर जाकर पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण के पश्चात मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल प्राप्त ओ.टी.पी. के द्वारा लॉग-इन करेंगे।
- पंजीकरण के पश्चात वे अपना नया पासवर्ड तैयार कर सुरक्षित रखेंगे।
- लॉग-इन के पश्चात अपने महाविद्यालय के नाम चुनकर वांछित सूचनायें तथा अपने नोडल अधिकारी का विवरण भरकर सबमिट करेंगे।
- **राजकीय महाविद्यालय** के प्राचार्य द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन निदेशक, उच्चशिक्षा द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सूचना गलत होती है तो प्राचार्य को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा प्राचार्य द्वारा लॉग-इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा। सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना प्राचार्य/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर दी जायेगी।
- **अनुदानित महाविद्यालय** के प्राचार्य द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन प्रथम स्तर पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा द्वितीय स्तर पर निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सूचना गलत होती है तो प्राचार्य को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा प्राचार्य द्वारा लॉग-इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा। सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना प्राचार्य/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर दी जायेगी।
- **स्वायत्त महाविद्यालय (Autonomous colleges)** के प्राचार्य द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन प्रथम स्तर पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा द्वितीय स्तर पर निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सूचना गलत होती है तो प्राचार्य को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा प्राचार्य द्वारा लॉग-इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा। सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना प्राचार्य/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर दी जायेगी।

- **स्ववित्त पोषित महाविद्यालय** के प्राचार्य द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन प्रथम स्तर पर सम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा तथा द्वितीय स्तर पर निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सूचना गलत होती है तो प्राचार्य को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर उसकी सूचना पुहुँच जायेगी तथा प्राचार्य द्वारा लॉग-इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा। सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना प्राचार्य/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर दी जायेगी।

7- विश्वविद्यालय कैम्पस पंजीकरण प्रक्रिया-

- पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालय के एक कैम्पस को एक महाविद्यालय इकाई जैसा माना जायेगा।
- शिक्षण/अकादमिक कार्यों के लिये विश्वविद्यालय कैम्पस उपरोक्त महाविद्यालय पंजीकरण प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करेंगे।
- सम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलपति एक वरिष्ठ आचार्य (प्राचार्य के स्थान पर) को नामित करेंगे तथा वे उपरोक्त महाविद्यालय पंजीकरण प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करेंगे तथा उनका सत्यापन कुलसचिव करेंगे।

8- विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय द्वारा विस्तृत डाटा अपलोड किया जाना-

- पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय अपने आधारभूत संरचना, शिक्षक, विभाग, पाठ्यक्रम, विषय आदि का विस्तृत डाटा अपलोड करेंगे।
- संस्थानों द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

पंजीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं को अपलोड करने की प्रक्रिया-

क्र०सं०	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	डाटा अपलोडिंग	डाटा सत्यापन-प्रथम स्तर	डाटा सत्यापन- द्वितीय स्तर
1	राज्य विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैम्पस	कुलसचिव	कुलपति	
2	प्राईवेट विश्वविद्यालय	कुलसचिव	निदेशक	उ.प्र. राज्य उच्च शिक्षा परिषद
3	राजकीय महाविद्यालय	प्राचार्य	निदेशक, उच्च शिक्षा	
4	अनुदानित महाविद्यालय	प्राचार्य	कुलसचिव	निदेशक, उच्च शिक्षा
5	स्वायत्त महाविद्यालय	प्राचार्य	कुलसचिव	निदेशक, उच्च शिक्षा
6	स्ववित्तपोषित महाविद्यालय	प्रबंधक/ सचिव	कुलसचिव	निदेशक, उच्च शिक्षा

9- शिक्षक पंजीकरण-

- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के शिक्षक अपने मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल के द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट (<http://abacus.upsdc.gov.in>) के "Teacher Registration" पर जाकर पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण के पश्चात मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल प्राप्त ओ.टी.पी. के द्वारा लॉग-इन करेंगे।
- पंजीकरण के पश्चात वे अपना नया पासवर्ड तैयार कर सुरक्षित रखेंगे।
- लॉग-इन के पश्चात शिक्षक अपने विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय का नाम चुनकर वांछित सूचनायें भरकर सबमिट करेंगे।
- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन निम्न तालिका में वर्णित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। यदि कोई सूचना गलत होती है तो शिक्षक को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर उसकी सूचना पुहुँच जायेगी तथा शिक्षक द्वारा

लॉग-इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना शिक्षक को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर दी जायेगी ।

- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के शिक्षक अपनी लॉग इन द्वारा अपना विस्तृत डाटा अपलोड करेंगे ।
- शिक्षक द्वारा भरे गये डाटा का सत्यापन निम्न तालिका में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा द्वारा किया जायेगा ।
- शिक्षक के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई डी बदलने, पासवर्ड री-सेट की प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय द्वारा की जायेगी ।
- शिक्षक के स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय द्वारा उनकी लॉगइन आईडी को बंद अथवा चालू किया जा सकता है ।

शिक्षकों का डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया :-

क्र० स०	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	डाटा अपलोडिंग	डाटा सत्यापन- प्रथम स्तर	डाटा सत्यापन- द्वितीय स्तर	डाटा सत्यापन- तृतीय स्तर
1	राज्य विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैम्पस	शिक्षक	कुलसचिव	कुलपति	
2	प्राइवेट विश्वविद्यालय	शिक्षक	कुलसचिव	कुलपति	उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्
3	राजकीय महाविद्यालय	शिक्षक	प्राचार्य	निदेशक	
4	अनुदानित महाविद्यालय	शिक्षक	प्रबंधक	निदेशक	कुलसचिव
5	स्वायत्त महाविद्यालय	शिक्षक	प्रबंधक	कुलसचिव	निदेशक
6	स्ववित्तपोषित महाविद्यालय	शिक्षक	प्रबंधक	कुलसचिव	निदेशक

10- छात्र पंजीकरण-

- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल के द्वारा ABACUS-UP की वेबसाइट (<http://abacus.upsdc.gov.in>) के "Student Registration" पर जाकर पंजीकृत करेंगे । पंजीकरण के पश्चात मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल प्राप्त ओ.टी.पी. के द्वारा लॉग-इन करेंगे ।
- पंजीकरण के पश्चात वे अपना नया पासवर्ड तैयार कर सुरक्षित रखेंगे ।
- लॉग-इन के पश्चात विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय का नाम चुनकर वांछित सूचनायें भरकर सबमिट करेंगे ।
- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के विद्यार्थी द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन निम्न तालिका में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा । यदि कोई सूचना गलत होती है तो, विद्यार्थी को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा विद्यार्थी द्वारा लॉग-इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना विद्यार्थी को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर दी जायेगी ।
- विद्यार्थी को अपनी लॉग इन के द्वारा क्रेडिट पासबुक, परीक्षा अंक, क्रेडिट ट्रांसफर आदि की सुविधा होगी ।
- विद्यार्थी के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी बदलने, पासवर्ड री-सेट की प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय द्वारा की जायेगी ।

विद्यार्थियों का डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया :-

क्र०सं०	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	डाटा अपलोडिंग	डाटा सत्यापन-प्रथम स्तर	डाटा सत्यापन-द्वितीय स्तर	डाटा सत्यापन-तृतीय स्तर
1	राज्य विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैम्पस	विद्यार्थी	संकायाध्यक्ष	कुलसचिव	
2	प्राइवेट विश्वविद्यालय	विद्यार्थी	संकायाध्यक्ष	कुलसचिव	कुलपति
3	राजकीय महाविद्यालय	विद्यार्थी	प्राचार्य	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	कुलसचिव
4	अनुदानित महाविद्यालय	विद्यार्थी	प्राचार्य	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	कुलसचिव
5	स्वायत्त महाविद्यालय	विद्यार्थी	प्राचार्य	निदेशक	कुलसचिव
6	स्ववित्तपोषित महाविद्यालय	विद्यार्थी	प्राचार्य	निदेशक	कुलसचिव

11- क्रेडिट, सतत आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षा-

- सतत आंतरिक मूल्यांकन के अंक एवं क्रेडिट, संबंधित शिक्षक द्वारा अपनी लॉगइन के माध्यम से भरे जायेंगे, जिसका सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/ महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। सत्यापन के पश्चात वे विश्वविद्यालय पोर्टल एवं छात्र की लॉगइन में प्रदर्शित होंगे।
- प्रायोगिक परीक्षा/प्रोजेक्ट के अंक एवं क्रेडिट, आंतरिक परीक्षक की लॉगइन आईडी से भरे जायेंगे, जिसका सत्यापन संबंधित बाह्य परीक्षक के ओ.टी.पी. (SMS, Email) के द्वारा किया जायेगा। सत्यापन के पश्चात वे अंक विश्वविद्यालय पोर्टल एवं छात्र की लॉगइन में प्रदर्शित होंगे।
- प्रत्येक सैमस्टर के अंत में विश्वविद्यालयी परीक्षा का परिणाम कुलसचिव/नोडल अधिकारी मूल्यांकन के पश्चात ABACUS-UP पर अपलोड करायेंगे जिसके बाद वे छात्र एवं संबंधित विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय के पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे।
- ABACUS-UP के साफ्टवेयर द्वारा छात्र का डिजिटल अंकपत्र/ग्रेडपत्र उपलब्ध होगा जिसे विद्यार्थी की लॉगइन के द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।
- विद्यार्थी का डिजिटल अंकपत्र/ग्रेडपत्र भारत सरकार के डिजी-लॉकर पर भी ABACUS-UP के द्वारा भेजा जायेगा।

क्र० सं०	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	आंतरिक मूल्यांकन		सैमस्टर मूल्यांकन		अंकपत्र सत्यापन
		डाटा अपलोडिंग	सत्यापन	डाटा अपलोडिंग	सत्यापन	
1	राज्य विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैम्पस	विभागाध्यक्ष	रजिस्ट्रार	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
2	प्राइवेट विश्वविद्यालय	विभागाध्यक्ष	रजिस्ट्रार	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
3	राजकीय महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
4	अनुदानित महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
5	स्वायत्त महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
6	स्ववित्तपोषित महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार

12- ABACUS-UP से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण-

- ABACUS-UP के संचालन हेतु राज्य नोडल अधिकारी/ABACUS-UP एडमिन द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलसचिव/नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा । तत्पश्चात विश्वविद्यालयों के कुलसचिव/नोडल अधिकारी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले प्राचार्य/वरिष्ठ आचार्य/नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण राज्य नोडल अधिकारी/ABACUS-UP एडमिन द्वारा किया जायेगा ।
- विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण सम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
- शिक्षकों एवं छात्रों से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण सम्बंधित विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय के प्राचार्य/वरिष्ठ आचार्य/नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

13-

महोदय अवगत कराना है कि ABACUS-UP को शीघ्र ही लॉच किया जाना संभावित है, उस समय इस पर सूचनाएं अपलोड किए जाने हेतु निम्न गतिविधियों की समय सारिणी जारी की जाएगी:-

गतिविधियाँ
कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय हेतु मोबाईल न एवं ई-मेल आई.डी. तैयार करना
विश्वविद्यालय द्वारा ABACUS-UP की वेबसाइट पर पंजीकरण
ABACUS-UP का उद्घाटन
कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के पंजीकरण का सत्यापन
विश्वविद्यालय कैम्पस /महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP की वेबसाइट पर पंजीकरण
सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कैम्पस /महाविद्यालय के पंजीकरण का सत्यापन
विश्वविद्यालय द्वारा एन.आई.सी. के निर्देशन/माध्यम से क्लाउड /सर्वर पर स्पेस का क्रय
विश्वविद्यालय द्वारा ABACUS-UP की वेबसाइट पर विस्तृत डाटा भरा जाना
विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP की वेबसाइट पर विस्तृत डाटा भरा जाना
विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय कैम्पस /महाविद्यालय द्वारा भरे गये विस्तृत डाटा का सत्यापन
शिक्षकों द्वारा ABACUS-UP की वेबसाइट पर पंजीकरण एवं विस्तृत डाटा भरा जाना
सम्बंधित विश्वविद्यालय कैम्पस /महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों के पंजीकरण एवं विस्तृत डाटा का सत्यापन
छात्रों द्वारा ABACUS-UP की वेबसाइट पर पंजीकरण प्रारम्भ होना
सम्बंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कैम्पस द्वारा छात्रों के पंजीकरण का सत्यापन

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
1 Sep
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-1969/सत्तर-3-2021
लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2021

1- कुलपति
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विभिन्न स्नातक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तत्कम में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के लिये रोजगार परक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20-04-2021 एवं पत्र संख्या- 1567/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 टी.सी. दिनांक 13-07-2021 के क्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं-

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

- 1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने अपेक्षित हैं।
- 1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे।
- 1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण/इन्टरनशिप के लिये शिक्षण संस्थान संबंधित विभागों से समन्वय करेंगे।
- 1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।
- 1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

2. समय सारणी

प्रशिक्षण/इन्टरनशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय-सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय-सारणी में इन कोर्स को यथा संभव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा

4.1 थ्योरी/समान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं।

4.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तर्गत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं।

5. पाठ्यक्रम

5.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्वुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा।

5.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेंट काउंसिल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.3 जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डेवलपमेंट काउंसिल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उद्घित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इन्टर्नशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके।

5.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा।

5.5 सामान्य/थ्योरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट-15 घंटों का तथा स्किल का एक क्रेडिट-30 घंटों का होगा अर्थात् 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंट की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटों की ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी।

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं-

6.1.2 Individual nature - एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature - एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ-बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सके।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे।

7. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-1969 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव।

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-	
Nodal Department of HEI to run course	
Broad Area/Sector-	
Sub Sector-	
Nature of course - Independent / Progressive	
Name of suggestive Sector Skill Council	
Alienated NSQF level	
Expected fees of the course -Free/Paid	
Stipend to student expected from industry	
Number of Seats-.....	Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Course Code-.....	
Max Marks...100..... Minimum Marks.....	
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT)	
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)	

Syllabus

Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					

Suggested Readings:

Suggested Digital platforms/ web links for reading-

Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Course Pre-requisites:

- No pre-requisite required, open to all
- To study this course, a student must have the subject in class/12th/ certificate/diploma
- If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series.

Suggested equivalent online courses:

Any remarks/ suggestions:

Notes:

- Number of units in Theory/Practical may vary as per need
- Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year)
- Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15)
- Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60)